संख्या-100/2019/2034/छप्पन-2019-90/2012

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 08 नवम्बर, 2019

विषय: सैफई हवाई पट्टी के नाम बैनामा कराकर मुआवजा प्रदान करने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-399/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 24 सितम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्रीमती ग्याश्री पुत्री श्री देवजीत पत्नी श्री विजय राम निवासी छिमारा, तहसील सैफई, जिला इटावा की ग्राम भवानीपुर, तहसील सैफई में स्थित भूमि गाटा संख्या-261ग रकबा 0.1210 है0 व गाटा संख्या-332 रकवा 0.2270 है0, अर्थात् कुल 02 किता, रकवा 0.3480 है0 भूमि, जो वर्तमान में सैफई हवाई पट्टी की बाउण्ड्री के अन्दर है, का बैनामा नागरिक उड्डयन विभाग के पक्ष में कराए जाने हेतु मुआवजे की धनराशि रू0 10,84,000/- एवं निबन्धन शुल्क की धनराशि रू0 20,100/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 11,04,100/- (रूपए ग्यारह लाख चार हजार एक सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल श्रीमती ग्याश्री पुत्री श्री देवजीत पत्नी श्री विजय राम निवासी छिमारा, तहसील सैफई, जिला इटावा की ग्राम भवानीपुर, तहसील सैफई में स्थित भूमि गाटा संख्या-261ग रकबा 0.1210 है0 व गाटा संख्या-332 रकवा 0.2270 है0, अर्थात् कुल 02 किता, रकवा 0.3480 है0 भूमि, जो वर्तमान में सैफई हवाई पट्टी की बाउण्ड्री के अन्दर है, का बैनामा नागरिक उड्डयन विभाग के पक्ष में कराए जाने हेतु मुआवजे की धनराशि रू0 10,84,000/- एवं निबन्धन शुल्क की धनराशि रू0 20,100/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 11,04,100/- (रूपए ग्यारह लाख चार हजार एक सौ मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 11,04,100/- (रूपए ग्यारह लाख चार हजार एक सौ मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21 नवम्बर, 2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(5) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 11,04,100/- (रूपए ग्यारह लाख चार हजार एक सौ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, इटावा के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, इटावा द्वारा सम्बन्धित पक्ष को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- जिलाधिकारी, इटावा द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य'' से वहन किया जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई-7-828/दस-2019, दिनांक 08 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

पृ0सं0-100/2019/2034(1)/छप्पन-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3. जिलाधिकारी, इटावा।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, इटावा।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.
6. निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
7. समीक्षा अधिकारी (बजट)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।